पुलिस विभाग अजमेर

–: प्रेस नोट :–

दिनांक 03.10.2017

गहने हडप करने की नियत से किया महिला पर जानलेवा हमला अभियुक्त गिरफतार ।

पुलिस थाना गंज ने अभियुक्त बीरम सिंह उर्फ कालू पुत्र श्री घीसा जाति रावत उम्र 40 साल निवासी ग्राम काजीपुरा पुलिस थाना गंज अजमेर को थाना के मुकदमा नम्बर 194/17 धारा 365,342,376/511,307/34 भादस मे बाद अनुसंधान गिरफतार किया अभियुक्त ने पीडीता के गहने हडपने की नियत से जान से खत्म करने का प्रयास किया अभियुक्त ने पीडीता को जेवरात अपने पास रखकर उसके करता रहा ब्लेकमेल। जब पीडीता ने गहने मांगे तो उससे मौत की घाट उतारने का प्रयास किया। विदत हो की दिनांक 1.10.17 को काजीपुरा अजमेर निवासी जनता पत्नि श्री हीरा फायसागर की झाडियो मे अधमरी हालात मे मिली। जिस पर पीडीता जनता के पुत्र गोविन्द की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान आरम्भ किया गया। दिनांक 01.10.17 को पीडीता जनता को अस्पताल पहुंचाया जहां उसकी हालात स्थिर बनी हुई है जिसके सिर मे गम्भीर चोट आने से पीडीता होसो आवास मे नही है। चश्मदीद गवाहो ने बीरम द्वारा जनता को अपनी मोटर साईकिल से फायसागर की तरफ रात्रि 9 बजे जाते हुये देखा जिस पर बीरम को सख्ती से पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबूल किया है अभियुक्त बीरम उर्फ कालू ने रात्रि मे जानलेवा हमला करने के बाद अस्पताल पहुंच कर उसके परिजनो को गुमराह कर एफआईआर मे पीडीता जनता के परिजन भगवान, रमेश, भागचन्द एंव मिनू को ही आरोपी बना दिया। अभियुक्त को गिरफतार कर अनुसंधान किया जा रहा है।

अवैध शराब सहित तीन मुल्जिम गिरफ्तार

पुलिस थाना रामगंज में पुलिस अधीक्षक जिला अजमेर के निर्देशानुसार अवैध शराब के खिलाफ चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 02.10.17 की रात्री मे थाना क्षैत्र एफसीआई गोदाम के पास ब्यावर रोड अजमेर पर विजय कुमार सउनि मय जाप्ता द्वारा दबिश देकर मुल्जिम सत्तार पुत्र समदा जाति चीता उम्र 33 साल निवासी चंदवाला का बाडिया सोमलपुर थाना रामगंज अजमेर के कब्जे से 9 बोतल बीयर व 5 पव्वे अंग्रेजी शराब के तथा शराब बिक्री के 5380 रू मिलने पर मुल्जिम के विरूद्व मु0न0 272/17 धारा 20/54 आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।एंव

आईओसी डिपो के पास गली रामगंज अजमेर मे भरत सिंह जाप्ता द्वारा दबिश देकर मुल्जिम लालराम पुत्र छीतर जाति कलाल उम्र 37 साल निवासी मंषापूर्ण बालाजी के सामने भीलवाडा रोड गुलाबपुरा जिला भीलवाडा के कब्जे से 4 बोतल बीयर व 4 पव्वे अंग्रेजी शराब के तथा शराब बिक्री के **5800 रू मिलने** पर मुल्जिम के विरूद्व मु0न0 273/17 धारा 20/54 आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।व अनाज मण्डी के सामने ब्यावर रोड अजमेर पर ओमप्रकाश हैड कानि 154 मय जाप्ता द्वारा दबिश देकर मुल्जिम जयकुमार टांक पुत्र रमेशचंद जाति टांक उम्र 36 साल निवासी बाईस्कोप सिनेमा के पीछे सुभाषनगर थाना सुभाषनगर जिला भीलवाडा के 52 पव्वे देशी शराब के तथा **शराब बिक्री के 3800 रू** मिलने पर मुल्जिम के **विरूद्व** मु0न0 274/17 धारा 19,20/54 आबकारी अधिनियम मे मुकदमा दर्ज किया गया।

गिरफतारी वारंट में एक गिरफतार

पुलिस थाना केकडी–में ओमप्रकाश हैड कानि0 द्वारा गिरफतारी वारंटी पुखराज पुत्र रामकंवार जाति जाट उम्र 30 साल निवासी गोपालपुरा केकडी थाना केकडी जिला अजमेर को न्यायालय द्वारा जारीशुदा गिरफतारी वारंट में गिरफतार किया गया।

सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती से हार जीत का दाव लगाकर रूपयों से जुआ खेलते तीन आरोपी गिरफ्तार

पुलिस थाना मसुदा में पप्पु सिंह पुत्र छगन सिंह जाति रावत उम्र 43 साल निवासी रामपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर 2. बाबु सिंह पुत्र दल्ला सिह जाति रावत उम्र 50 साल निवासी रामपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर 3. भवंर सिंह पुत्र छगन सिंह जाति रावत उम्र 38 साल निवासी रामपुरा थाना मसूदा जिला अजमेर को सार्वजनिक स्थान पर ताश पत्ती से हार जीत का दाव लगाकर रूपयों से जुआ खेलने से जुआ रूकम 390 रूप्ये व 52 ताशपत्ती जप्त कर मुल्जिमानों को धारा 13 आर पी जी ओ एक्ट में गिरफतार कर प्रकरण सं 197/17 दर्ज किया गय